दिनांक–28.04.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं CGRC के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर, अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) अंचल–मुंगेर एवं बेगूसराय, कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) प्रमंडल–मुंगेर, जमुई एवं लखीसराय तथा भागलपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत संबंधित प्रमंडलों में कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु नामित सभी सहायक अभियंता (मु0) के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

---

1. सर्वप्रथम सहायक अभियंताओं (मु0) द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाए गए समस्याओं का विस्तृत रूप से समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान सहायक अभियंताओं (मु0) द्वारा मुख्य रूप से निम्न प्रकार की समस्याओं को चिन्हित किया गयाः–
   - ➢ पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ निजी जमीन होने के कारण पाईप लाईन बिछाने में विवाद होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ नाला निर्माण एवं विद्युत पोल न होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ संवेदकों द्वारा धीमी गति से कार्य करने एवं कम संख्या में मानव बल रखने के कारण समस्याओं का निराकरण ससमय नहीं होना।
   - ➢ पंप ऑपरेटर का भुगतान लंबित होने के कारण, उनके द्वारा योजनाओं का संचालन नियमित रूप से नहीं किए जाने से जलापूर्ति बाधित।
   - ➢ कई संवेदकों/एजेंसी द्वारा O&M अवधि समाप्त होने के उपरांत कार्य नहीं किए जाने से जलापूर्ति बाधित।
   - ➢ नए बसावटों को छुटा टोला में नहीं लिए जाने के कारण वहां पर जलापूर्ति की समस्याओं का निराकरण किया जाना कठिन है।
   - ➢ कई योजनाओं में कम दबाव होने के कारण अंतिम छोर तक जलापूर्ति बाधित होना।
   - ➢ शिकायतकर्ता द्वारा एक से अधिक गृह जल संयोजन की मांग करना।
   - ➢ सड़क एवं बांध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं मिलने के कारण पाईपलाईन का कार्य बाधित है।

2. <u>CGRC:-</u>

❖ CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के क्रम में भागलपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर, लखीसराय एवं जमुई में 15 दिनों से अधिक कुल 79 शिकायतें एवं 0–15 दिनों की कुल 153 शिकायतें निष्पादन हेतु लंबित पाई गई। इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि उक्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता।

❖ समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर द्वारा बताया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल–जमुई, प्रखंड–गिधौर, पंचायत–रतनपुर में संचालित PWS योजना में कुल 12 वार्डों में सर्वे के दौरान 454 घरों में गृह आच्छादन हेतु छुटा हुआ पाया गया। माप पुस्त के अनुसार 1850 अदद् घरों का गृह संयोजन किया गया था। वर्तमान में कुल

गृह आच्छादित घरों की संख्या–2250 अदद् हो गया है, किंतु अभी भी प्रत्येक वार्ड में लगभग 15 से 20 घरों में गृह जल संयोजन छुटा हुआ है। जिन्हें उक्त योजना से जलापूर्ति नहीं की जा सकती है। छुटे हुए घरों में जलापूर्ति हेतु अलग से दो बोरिंग करने की आवश्यकता है, जिससे वहां पर जलापूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में निदेशित किया गया कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र जलापूर्ति सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– अधीक्षण अभियंता, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, जमुई।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई द्वारा बताया गया कि प्रखंड–खैरा, पंचायत–कगेसर के वार्ड 8 में भूमि मालिक के पटना में रहने के कारण उस योजना का संचालन किसी और के द्वारा किया जाता है जिसे भुगतान नहीं मिलने के कारण संबंधित पंप ऑपरेटर द्वारा योजना को नियमित रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। उक्त के संबंध में निदेशित किया गया कि इस तरह के शिकायतों में अपने स्तर से जांच कर निराकरण करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, जमुई।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई, प्रखंड–खैरा, पंचायत–बानपुर के वार्ड 10 में पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान नहीं होने से जलापूर्ति बाधित है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई प्रखंड–लक्ष्मीपुर, पंचायत–मरैया के वार्ड–4 में 30–40 घर गृह संयोजन हेतु छुटा हुआ है। उक्त योजना में विचलन के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संसूचित किया गया कि कार्यरत संवेदक को चेतावनी देते हुए डिबार किया गया है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर एकरारनामा में विहित प्रावधान के तहत संवेदक पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शीघ्र जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित कराएं।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, जमुई।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल, जमुई, प्रखंड–इस्लामनगर, पंचायत–दीननगर के वार्ड–8 के 7 घरों में नल जल का पानी नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, जमुई द्वारा संसूचित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर उक्त घरों में सुचारू रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, जमुई।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–जमुई, प्रखंड–गिधौर, पंचायत–सेवा के वार्ड–10 में जलापूर्ति नहीं होने के संबंध में प्राप्त शिकायत के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त योजना में छुटे हुए टोलों के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है एवं अगले 10 दिनों में कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि उक्त टोले की प्रविष्टि MIS पोर्टल पर नहीं की गई है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि ऐसे टोलों की प्रविष्टि शीघ्र MIS पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, जमुई।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल, जमुई के प्रखंड–इस्लामनगर, पंचायत–सहोरा के वार्ड–11 में संबंधित संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने से वहां पर जलापूर्ति बाधित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संसूचित किया गया कि संवेदक को कई बार मौखिक एवं पत्र के माध्यम से चेतावनी दिया गया है, परन्तु कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा विखंडित

कर काली सूची में डालने का प्रस्ताव संबंधित अधीक्षण अभियंता को भेज दिया गया है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है कि अधीक्षण अभियंता से प्राप्त उक्त प्रस्ताव को अविलंब मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि बचे हुए कार्यों की निविदा कर जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, जमुई

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल—जमुई, प्रखंड—सिकंदरा, पंचायत—मथुरापुर के वार्ड—4 से संबंधित संवेदक द्वारा पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं करने से पंप ऑपरेटर द्वारा योजना को बंद रखा जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, जमुई के द्वारा यह बताया गया कि उक्त योजना के संवेदक को मानदेय भुगतान के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को कार्य नहीं करने वाले संवेदक को डिबार करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, जमुई।

- समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि कतिपय प्रमंडलों द्वारा योजनाओं कि प्रविष्टि MIS पोर्टल पर नहीं किया गया है। इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि ऐसे योजनाओं की प्रविष्टि शीघ्र MIS पोर्टल पर कराएं। साथ ही संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता इसका अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल—मुंगेर, प्रखंड—जमालपुर, पंचायत—इटहरी के वार्ड—4 एवं 5 में पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान नहीं होने से योजना नियमित रूप से चालू नहीं किया जाता है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय कर पंप ऑपरेटर का भुगतान कराएं एवं ससमय जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल मुंगेर, प्रखंड—संग्रामपुर, पंचायत—कटियारी के वार्ड—3 में 30—40 घरो में जलापूर्ति बाधित है। इस संबंध में संबंधित सहायक अभियंता से पृच्छा करने पर बताया गया कि कम दवाब (ऊंचाई पर होने) के कारण 10—12 घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है एवं कुछ घरों में गृह जल संयोजन नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को निदेशित किया गया कि अगले 10 दिनों में सभी घरों में जलापूर्ति सुचारू रूप से बहाल करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/संबंधित सहायक अभियंता।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल—मुंगेर, प्रखंड—मुंगेर, पंचायत—टीकारामपुर के वार्ड—5 में पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान लंबित रहने के कारण जलापूर्ति बाधित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान जिला प्रशासन से समन्वय कर सुनिश्चित कराएं एवं यथा शीघ्र जलापूर्ति बहाल कराएं।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर के लिए नामित सहायक अभियंता(मु0) से प्रखंड—संग्रामपुर के पंचायत—बरेहनिया के संबंध में पृच्छा किया गया, इस

संबंध में उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त सहायक अभियंता द्वारा कार्यों में रूचि नहीं लिया जा रहा है एवं विभागीय निदेश के अनुपालन में कोताही बरती जा रही है। कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण नामित सहायक अभियंता(मु0) के विरूद्ध प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीरकण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0)के प्रावैधिक सचिव।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–मुंगेर, प्रखंड–धरहरा, पंचायत–बाहाचौकी के वार्ड–1 में संवेदक द्वारा योजना कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के कारण अभी तक जलापूर्ति बाधित है। संबंधित कनीय अभियंता द्वारा संसूचित किया गया है कि बोरिंग एवं पाईप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं विद्युत मीटर के लिए आवेदन किया गया है। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संसूचित किया गया है कि संबंधित संवेदक को चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में डिबार कर दिया जाएगा। उक्त के आलोक में निदेशित किया गया है कि विद्युत कनेक्शन करा कर शीघ्र सीधी जलापूर्ति चालू करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, मुंगेर/संबंधित सहायक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता।

❖ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रखंड–मुंगेर, पंचायत– महुली के वार्ड–3 में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नाला निर्माण के क्रम में पाईप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कार्यरत संवेदक के द्वारा क्षतिग्रस्त पाईप की मरम्मति कराने के लिए स्वीकार कर लिया गया है। अतः अगले 10 दिनों के भीतर पाईप लाईन मरम्मति कर जलापूर्ति बहाल कर लिया जाएगा।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

❖ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर द्वारा संसूचित किया गया कि प्रखंड–खड़गपुर, पंचायत–रटैथा के वार्ड–4 में भूमि विवाद के कारण पाईप लाईन का कार्य नही करने दिया जा रहा है जिस कारण 10 घरों में जलापूर्ति बाधित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को यथाशीघ्र जलापूर्ति बहाल करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–मुंगेर, प्रखंड–खड़गपुर, पंचायत–रामकवाद के ग्राम–बाकी हथिया के वार्ड–8 में जलापूर्ति बाधित होने की शिकायत दर्ज है। संबंधित कनीय अभियंता द्वारा संसूचित किया गया कि अगले एक सप्ताह में उक्त समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यरत संवेदक द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संवेदक पर एकरारनामा में विहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करें, साथ ही ससमय जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल, लखीसराय, प्रखंड–लखीसराय, पंचायत–खगौर के वार्ड 2 में पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण नियमित रूप से जलापूर्ति बाधित है। संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा संसूचित किया गया है कि अगले सप्ताह तक

भुगतान करवा लिया जाएगा एवं जलापूर्ति सुचारू रूप से बहाल करना सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

अनुपालनः– संबंधित अधीक्षण अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–लखीसराय, प्रखंड–चानन, पंचायत–मननपुर के वार्ड–9 में (PWS की योजना है) चार साल से जलापूर्ति बाधित है। संबंधित कनीय अभियंता द्वारा संसूचित किया गया है कि यह योजना PWS मननपुर से संबंधित है। उक्त वार्ड में संवेदक के द्वारा विचलन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। कार्यरत संवेदक को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण डिबार किया गया है एवं Rescind करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय को निदेश दिया गया कि शीघ्र जलापूर्ति बहाल करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करें।

अनुपालनः– अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय / संबंधित सहायक अभियंता / कनीय अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–लखीसराय, प्रखंड–चानन, पंचायत–संग्रामपुर के वार्ड–6 में नाला निर्माण के क्रम में पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है एवं प्रखंड–बड़हिया, पंचायत–खुटहा पूर्व के वार्ड–3 में बिजली का पोल लगाने के क्रम में पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। अधीक्षण अभियंता द्वारा संसूचित किया गया है कि एक सप्ताह के भीतर उक्त योजनाओं में नियमित रूप से जलापूर्ति चालू कर लिया जाएगा।

अनुपालनः– अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–लखीसराय, प्रखंड–सूर्यगढ़ा, पंचायत–बुधौली बंकर के वार्ड–8 में अंतिम छोर के 30 घरों में कम दवाब रहने के कारण नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। उक्त के आलोक में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया है कि उक्त MVS योजना की जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करे, साथ ही एक सप्ताह में जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–लखीसराय, प्रखंड–बड़हिया, पंचायत–दरियापुर के वार्ड–4 में 70 से 80 घरों में पानी नहीं मिल रहा है। संबंधित कनीय अभियंता से पृच्छा के दौरान बताया गया कि उक्त योजना PRD के छुटा हुआ टोला में लिया गया था। जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है एवं इन घरों में जलापूर्ति हेतु 1500 मीटर पाईप लाईन बिछाने की आवश्यकता है। सहायक अभियंता (मु0) को निदेशित किया गया है कि उक्त योजना की जांच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय / नामित नवनियुक्त सहायक अभियंता(मु0)।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रमंडल–लखीसराय, प्रखंड–चानन, पंचायत–जानकी डीह के वार्ड 6 में जलापूर्ति बाधित है। संबंधित कनीय अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले 10 दिनों में जलापूर्ति बहाल कर लिया जाएगा।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, लखीसराय / संबंधित कनीय अभियंता।

3. योजनाओं की क्रियाशीलता:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर के द्वारा कुल 07 योजनाओं को बंद बताया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 02 योजनाओं में मोटर जलने, 02 योजनाओं में स्टार्टर जलने एवं 03 योजनाओं में मिसलींक के कारण योजना बंद है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

- ❖ समीक्षा के दौरान प्रमंडल—मुंगेर, प्रखंड—टेटिया बंबर से संबंधित कनीय अभियंता द्वारा संसूचित किया गया है कि उनके क्षेत्रांतर्गत 110 योजनाओं में सभी योजनाओं का जांच किया गया है जिसमें सभी योजनाओं को चालू पाया गया। साथ ही 35 घरों में नए गृह जल संयोजन की आवश्यकता है एवं 70 घरों में जलापूर्ति बाधित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

- ❖ प्रमंडल मुंगेर, प्रखंड—धरहरा से संबंधित कनीय अभियंता द्वारा संसूचित किया गया है कि उनके प्रशाखातंर्गत 185 योजनाएं है। सभी कार्यरत है। साथ ही कुल 900 चापाकल है, जिनमें 10 चापाकल बंद है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि यथाशीघ्र बंद चापाकलों की मरम्मति करना सुनिश्चित कराएं।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

- ❖ प्रमंडल—मुंगेर, प्रखंड—असरगंज से संबंधित कनीय अभियंता द्वारा ससूंचित किया गया है कि कई योजनाओं में कम दवाब के कारण अंतिम घर तक जलापूर्ति नहीं हो रही थी। चापकलों में 1HP का मोटर लगाते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित कराया गया। साथ ही पंचायत—मकवा में 19 वार्डों के लिए SVS योजना के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु वार्ड—5 में 300 घरों के लिए आज तक कोई योजना नहीं बनाया गया है। जिससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त के आलोक में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया है कि पंचायत—मकवा के SVS योजना की जांच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर / संबंधित अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता, मुंगेर

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि अपने क्षेत्रांतर्गत सभी कनीय अभियंताओं से योजनावार रिपोर्ट प्राप्त करें कि किस योजना में कितना गृह संयोजन किया गया है, कितने घरों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है एवं कितने घरों में गृह संयोजन का कार्य शेष है तथा प्राप्त रिपोर्ट का अनुश्रवण कर सभी मामालों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ कार्यपालक अभियंता, मुंगेर को निदेशित किया गया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी शिकायतों को अगले एक सप्ताह के भीतर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— कार्यपालक अभियंता, मुंगेर।

4. **Deviation/Variation:-**

❖ सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि नए बसावटों में जलापूर्ति हेतु यथासंभव Deviation/Variation के माध्यम से कार्य पूर्ण कराए। यदि आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत प्रस्ताव को यथाशीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए उसे ऑन लाईन के माध्यम से भी संसूचित करेंगे। जिसका अनुश्रवण मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) द्वारा किया जाएगा। पूर्व से प्राप्त सभी Deviation/Variation की सूचीबद्ध कर मुख्यालय स्तर पर समीक्षा कर यथाशीघ्र निष्पादित कराए।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

5. सुखाड़ से संबंधित प्रतिवेदनः–

नलकूप की मरम्मति की स्थिति				
क्र0सं0	प्रमंडल	नलकूप की मरम्मति	नलकूप की मरम्मति की दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है।	नलकूप की मरम्मति की दस्तावेज अपलोड किया गया है।
1.	जमुई	1972	1296	676
2.	लखीसराय	888	873	15
3.	मुंगेर	563	292	271
	कुल	3423	2461	962

❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया है कि मरम्मति किए गए नलकूप का दस्तावेज MIS पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

6. अन्यान्यः–

❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि वैसे योजनाएं जिसकी प्रविष्टि MIS पोर्टल पर नहीं हुई है, उन योजनाओं को चिह्नित करते हुए MIS पोर्टल पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के दौरान यदि किसी योजना का MIS पोर्टल पर इन्ट्री नहीं पाया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता होगी।

अनुपालनः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।

❖ अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय को निदेश दिया गया है कि लखीसराय प्रमंडलांतर्गत योजनाओं का समीक्षा करें एवं काम नहीं करने वाले संवेदकों को डिबार/रिसाईन/काली सूची हेतु अग्रतर कार्रवाई करें।

अनुपालनः– अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय।

❖ सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि अन्य विभागों द्वारा निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त किए गए पाईप लाईन का फोटो/विडियोग्राफी करते हुए समस्याओं का समाधान कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सभी अधीक्षण अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर के प्रखंड–मुंगेर सदर में PRD के 56 योजनाओं में विद्युत मीटर अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) से पृच्छा किया गया। साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि उक्त समस्या का शीघ्र निराकरण हेतु बिजली विभाग से समन्वय स्थापित करें।

अनुपालनः– संबंधित कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)।

❖ सभी कार्यपालक को निदेश दिया गया, जिन संवेदको द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिया जा रहा एवं लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे संवेदको द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण कि Debar/Rescind /Blacklist की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ ऐसी योजनाएं जहाँ पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है, इन योजनाओं में विभागीय संकल्प के आलोक में कार्य कराते हुए जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सभी कार्यपालक अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

25.05.26

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 14/योज–101/2025–436 दिनांक– 27/5/26

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/योज–101/2025–436 दिनांक– 27/5/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/योज–101/2025–436 दिनांक– 27/5/26

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)